न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 15/2024
GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/51

प्रार्थी :–		अप्रार्थी :–
राज्य सरकार, जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, द्वारा जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा	बनाम	व्यवस्थापक लेम्पस, बडवास छोटी, उचित मुल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बडवास बडी भाग प्रथम तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा

उपस्थित – प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952

दिनांक :– 23–10–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि व्यवस्थापक लेम्पस बडवास छोटी, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बडवास बडी भाग प्रथम तहसील कुशलगढ की जांच दिनांक 14.08.2017 को तात्कालिन प्रवर्तन निरीक्षक कुशलगढ द्वारा की गई। मुताबिक जांच लेम्पस बडवास छोटी द्वारा बडवास छोटी भाग द्वितीय का वितरण कार्य भी अस्थायी रुप से किया जा रहा था। वक्त मौका जांच के दौरान भौतिक सत्यापन किये जाने पर दोनो गोदाम में 188.20 क्विं गेहूँ स्टॉक में उपलब्ध होना चाहिये था, जो स्टॉक में उपलब्ध नही था, न ही उसके द्वारा गेहूँ का हस्तान्तरण किया गया। उक्त 188.20 क्विं गेहूँ डीलर द्वारा खुर्द बुर्द किया जाना पाया गया। उक्त दोनो दुकानो में कुल 3302 क्विं. गेहूँ का उठाव राजस संघ बांसवाडा से किया गया एवं पोस मशिन से 3113.80 क्विं गेहूँ का उपभोक्ता में वितरण किया गया। इस प्रकार उक्त दोनो उचित मूल्य दुकानो में 188.20 क्विं. गेहूँ का उपभोक्ताओं में वितरण नही कर/ हस्तांतरण नही कर खाद्यान्न खुर्द–बुर्द किया जाना पाया। डीलर का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या [illegible]9,11[illegible]17सी का उल्लंघन है। उक्त अनियमितताऐं किये जाने पर अप्रार्थी डीलर व्यवस्थापक लेम्पस बडवास [illegible] के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर डीलर का प्राधिकार पत्र संख्या 1445/2010 को निलम्बित [illegible]या जाकर तथा प्रकरण में सु[illegible] की जाकर निर्णय दिनांक 28.12.2021 द्वारा उसका प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। डीलर के विरुद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:36:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (सं. 36 दिनांक 24.01.2022) पुलिस थाना कुशलगढ में दर्ज करवाई गई। इस प्रकार डीलर ने उक्त दोनो उचित मूल्य दुकान बडवास बडी भाग प्रथम पोस कोड 6416 एवं बडवास छोटी भाग प्रथम पोस कोड 6419 द्वारा कुल 188.20 क्विं. गेहूँ का गबन किया। उक्त 188.20 क्विं. गेहूँ की कीमत 27 रु. प्रति किग्रा. की दर से 508140 रु. बनती है। इस प्रकार गेहुँ की कुल राशि 508140 रु. वसूली योग्य है जिसे उचित मुल्य दुकानदार व्यवस्थापक लेम्पस बडवास छोटी तहसील कुशलगढ से वसूली किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाकीदार को नोटिस दिनांक 12.07.2024 को नोटिस मय धारा 4 जनमांग अधिनियम 1952 के तहत प्रमाण पत्र जारी कर रुपया 508140/– वसूली का जारी किया गया। कार्यालय बंद मिलने से नोटिस बाद चस्पा होकर तहसीलदार तहसील कुशलगढ की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत हुआ। तत्पश्चात् पेशी दिनांक 08.08.2024, 29.08.2024, 12.09.2024 को अप्रार्थी अनुपस्थित रहा। पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 12.09.2024 को अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दिनांक 23–10–2024 को विभागीय पैरोकार की ओर से प्रस्तुत एक पक्षीय बहस सुनी गई। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि डीलर ने उक्त दोनो उचित मूल्य दुकान बडवास बडी भाग प्रथम पोस कोड 6416 एवं बडवास छोटी भाग प्रथम पोस कोड 6419 द्वारा कुल 188.20 क्विं. गेहूँ का गबन किया। उक्त 188.20 क्विं. गेहूँ की कीमत 27 रु. प्रति किग्रा. की दर से 508140 रु. बनती है। इस प्रकार गेहुँ की कुल राशि 508140 रु. वसूली योग्य है जिसे उचित मुल्य दुकानदार व्यवस्थापक लेम्पस बडवास छोटी तहसील कुशलगढ से वसूली किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि व्यवस्थापक लेम्पस बडवास छोटी, उचित मूल्य [illegible] ग्राम पंचायत बडवास बडी भाग प्रथम तहसील कुशलगढ की जांच दिनांक 14.08.2017 को तत्कालिन [illegible] निरीक्षक कुशलगढ द्वारा की गई। मुताबिक जांच लेम्पस बडवास छोटी द्वारा बडवास छोटी भाग द्वितीय का वितरण कार्य भी अस्थायी रुप से किया जा रहा था। उक्त दोनो दुकानो में कुल 3302 क्विं. गेहूँ का उठाव राजस संघ बांसवाडा से

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:36:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

किया गया एवं पोस मशिन से 3113.80 क्विं गेहूँ का उपभोक्ता में वितरण किया गया। इस प्रकार उक्त दोनो उचित मूल्य दुकानो में 188.20 क्विं. गेहूँ का उपभोक्ताओं में वितरण नही कर/ हस्तांतरण नही कर खाद्यान्न खुर्द–बुर्द किया जाना पाया है। जिससे राजकीय हानि होना पाया जाता है। उक्त 188.20 क्विं. गेहूँ की राशि विभाग अनुसार 508140/–रु. बनती है तथा उसकी वसूली हेतु राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत मांग कायम कर वसूल किया जाना उचित पाता हुं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी व्यवस्थापक लेम्पस बडवास छोटी, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बडवास बडी भाग प्रथम तहसील कुशलगढ से राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत 188.20 क्विं. गेहूँ की राशि रु. 508140/– अक्षरे रुपया पाँच लाख आठ हजार एक सौ चालीस की वसूली के आदेश दिये जाते है। निर्णय की एक प्रति जिला राजस्व लेखाकार को नियमानुसार अग्रीम कार्यवाही हेतु दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23–10–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:36:05 IST
Reason: SelfAttested